

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 15th May, 2007

No. S.O. 47/H.A.6/2003/S 2/2007. – In exercise of the powers conferred by explanation (iii) of clause (zg) of sub-section (1) of section 2 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby directs that the date of publication of this notification in the Official Gazette, to be the date for the purposes of the said explanation (iii).

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 15 मई, 2007

संख्या का0आ0 47/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 2/ 2007.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का हरियाणा अधिनियम 6), की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (यछ) की व्याख्या (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि उक्त व्याख्या (iii) के प्रयोजनों के लिये तिथि होगी।

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।